ए.

एम. पी. और ओ. आर. एस. का राज्य

बनाम

राकेश सेठी और ए. एन. आर.

(2008 की सिविल अपील सं. 7074)

बी.

26 अगस्त, 2020

[एल**.** नागेश्वर राव और एस**.** रवींद्र भाट**,** जेजे।**]**

मध्य प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1994:

आर.55 ए-की वैधता-उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि नियम 55-ए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत राज्य की शक्तियों से परे है-अभिनिर्धारित किया गयाःएस. एस. को देखते हुए।65(1) और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 211 के तहत, राज्य सरकार को पंजीकरण संख्या के रूप में निर्दिष्ट किए जाने वाले कुछ अंकों या विशिष्ट अंकों को आरक्षित करने के लिए शुल्क निर्धारित करने का अधिकार है-इसलिए, नियम 55 ए अधिनियम या केंद्रीय नियमों द्वारा राज्य को प्रदत्त शक्तियों से अधिक नहीं है-राज्य अधिनियम-मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के माध्यम से कानून बनाने में सक्षम था।65(1) और 211-केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989।

सी.

डी.

अपील को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

आयोजित किया गयाः**1.** उच्च न्यायालय ने अपने विवादित फैसले में मोटर वाहन अधिनियम**, 1988** की धारा **211** के वास्तविक महत्व को नजरअंदाज कर दिया।अधिनियम की धारा **41 (13), 47 (7), 49 (4)** और **50 (5)** जैसे राज्य को सशक्त बनाने वाले विशिष्ट प्रावधानों के अस्तित्व का अर्थ है कि राशि का दावा करने या शुल्क लेने की राज्य की शक्ति को स्पष्ट प्रावधानों द्वारा विशेष रूप से मान्यता प्राप्त है।इसके अलावा**,** कुछ ऐसी सेवाएं और

कार्य हैं जिनके लिए राज्य को शुल्क लगाने का अधिकार है।यह सटीक रूप से इन आकस्मिकताओं को कवर करने के लिए है, यानी जहां सेवा प्रदान की जाती है या कुछ कार्य किया जाता है, कि राज्य को शुल्क लगाने के लिए एक अवशिष्ट प्रावधान (केंद्र सरकार की तरह जिसके साथ वह समवर्ती रूप से शक्ति साझा करता है) द्वारा सशक्त किया जाता है।धारा **211** को व्यापक शब्दों में प्रस्तुत किया गया है और यह कि कोई भी नियम जिसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा सशक्त किया गया है।

ई.

एफ.

जी.

अधिनियम के तहत करने के लिए, उस प्रभाव के लिए किसी भी स्पष्ट प्रावधान के अभाव के बावजूद, आवेदनों, दस्तावेजों के संशोधन, प्रमाण पत्र, लाइसेंस, परमिट, परीक्षण, अनुमोदन, बैज, प्लेट,

एच.

734 ए.

735

एम. पी. और ओ. आर. एस. का राज्य बनामराकेश सेठी और ए. एन. आर.

प्रति-हस्ताक्षर, प्राधिकरण, आंकड़ों की आपूर्ति या दस्तावेजों या आदेशों की प्रतियां और किसी अन्य उद्देश्य या मामले के लिए

किसी भी सेवा का प्रदान करना।स्पष्ट रूप से, इसलिए, संसद का इरादा था कि ऐसी आकस्मिकताएं जो शुल्क या राशि लगाने की किसी विशिष्ट शक्ति के दायरे में नहीं आती हैं, जिसमें राज्य की ओर से कोई गतिविधि शामिल होती है, जिसमें कोई भी सेवा प्रदान करना शामिल है, वैध रूप से शुल्क लिया जा सकता है या शुल्क या राशियों के उद्ग्रहण के अधीन हो सकता है।**[**पैरा **29] [754-**डी-जी**]**

बी.

2. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित एक अधिकारी/एजेंसी या विभाग के माध्यम से पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा संख्याओं के आवंटन को केवल एक कदम के रूप में नहीं देखा जा सकता है- भले ही पंजीकरण आवंटन प्रक्रिया के अंतिम चरण में हो।वास्तव में, हालांकि यह आवंटन प्रक्रिया की पराकाष्ठा है, फिर भी यह एक महत्वपूर्ण कदम है।राज्य को संख्या निर्धारित करने के लिए प्रक्रियाओं का एक विशेष समूह निर्धारित करके अपनी पसंद या निर्धारित करने के तरीके को इंगित करने का अधिकार है।इस प्रकार, उदाहरण के लिए, संबंधित "कोड" का

असाइनमेंट-व्यक्तिगत पंजीकरण अधिकारियों को अंकों के असाइनमेंट द्वारा अनुसरण किया जाने वाला एक पूर्व निर्धारित पैटर्न हो सकता है जो जिलेवार, राज्य सरकार के विभागवार (सार्वजनिक स्वामित्व वाले वाहनों के मामले में), बसों और भारी वाहनों के लिए अलग-अलग अनुक्रम आदि हो सकता है।यदि असाइनमेंट के तरीके को निर्धारित करके ऐसा पूर्व निर्धारित विकल्प चुना जा सकता है, तो यह नियामक और साथ ही राज्य नीति का संकेत भी है।अपने आप में, न्यायालय सेवा के उस तत्व को दरकिनार नहीं कर सकता है जो शामिल हो सकता है-विशेष रूप से यदि आम जनता या इसका एक उप-खंड, विभिन्न विचारों के लिए विशेष संख्या का चयन करना चाहता है।इस तरह की "काल्पनिक" संख्याएँ या "शुभ" संख्याएँ राज्य के लोगों की विशिष्ट सामाजिक-सांस्कृतिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग निर्धारित की जानी चाहिए।ऐसी स्थिति में ऐसी संख्या की उपलब्धता और एक विकल्प के रूप में उनका आरक्षण और उनके कार्य की शक्ति महत्वपूर्ण हो जाती है।**2001** में एम. पी. राज्य द्वारा संशोधन के माध्यम से प्रस्तुत किए गए वर्तमान नियम **55** ए में चार अलग-अलग शुल्क निर्धारित किए गए हैं-पंजीकरण प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में प्रचलित किसी भी श्रृंखला में पंजीकरण अंक **1** से **9** के लिए **15000/-** और पंजीकरण प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में किसी भी श्रृंखला में **10** से **100** तक के अंकों के आरक्षण के लिए **12000/-**।नियम **55** ए (सी), **'10000/-** में इंगित संख्याओं की बड़ी श्रृंखला के आरक्षण के लिए

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

ए.

और क्रमिक क्रम में निर्दिष्ट अंतिम संख्या से **1000** के भीतर किसी अन्य संख्या या संख्या के आरक्षण के लिए **2000/-**।इस तरह के शुल्क लेने के अलावा, पंजीकरण प्राधिकरण को नियम **55** ए **(2)** द्वारा आदेश दिया गया है कि वह विशेष संख्या को आरक्षित करने में पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत का पालन करे; और फॉर्म-**20** (केंद्रीय नियमों के) में आवेदन के साथ वाहन के उत्पादन पर आरक्षित पंजीकरण चिह्न आवंटित करे, बशर्ते वाहन अधिनियम और नियमों के प्रावधानों का पालन करता हो।नियम **55** ए (डी) के अनुसार, अंक का आरक्षण रद्द कर दिया जाएगा यदि आवंटन की तारीख से तीन महीने के भीतर वाहन को आवंटन के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है।जाहिर है, इसका उद्देश्य संख्या में तस्करी करके

आरक्षण प्रक्रिया के दुरुपयोग से बचना है, सीमित समय प्रदान करके जिसके भीतर ऐसी संख्या का उपयोग किया जा सकता है।[पैरा **30,31] [754-**एच**; 755-**ए-डी**; 756-**ए**; 757-**ए-डी**]**

बी.

सी.

3. मोटर वाहन अधिनियम की धारा **65 (1)** के तहत नियम बनाने की शक्ति की व्यापकता धारा **211** के साथ यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि राज्य सरकार को पंजीकरण संख्या के रूप में निर्दिष्ट किए जाने वाले कुछ अंकों या विशिष्ट अंकों को आरक्षित करने के लिए शुल्क निर्धारित करने का अधिकार है।यह नहीं दिखाया गया है कि कैसे कुछ संख्याओं को अलग करना या उनका आरक्षण करना-यहाँ, संख्याओं के बड़े संभावित समूह का एक अंश जो पंजीकरण प्राधिकरण अन्यथा वाहनों को दे सकता है, अपने आप में मनमाना या अनुचित है।न ही इस न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई दलीलें पेश की गईं।[पैरा **33] [758-**डी**-**एफ**]**

डी.

ई.

4. जब भी कोई राज्य अधिकार बनाने वाला नियम प्रदान करता है या प्रत्यायोजित कानून को सशक्त बनाता है, यानी जहां या जहां भी क़ानून पहले अधीनस्थ कानून या उस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अलग कानून बनाने को अधिकृत करने वाला एक सामान्य प्रावधान रखता है, और "विशेष रूप से और

एफ.

पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता के बिना ", इसके बाद एक अन्य

प्रतिनिधिमण्डल जो विशिष्ट शक्तियों की गणना करता है

अभिव्यक्तियाँ जैसे "विशेष रूप से और इसकी व्यापकता के बिना"

पूर्वगामी शक्तियाँ, "विनिर्देशन केवल उदाहरणात्मक है और सामान्य शक्ति को समाहित नहीं करता है।[पैरा **34] [758-**एफ**-**एच**]**

जी.

5. इसलिए, मोटर वाहनों को "विशिष्ट अंक" यानी पंजीकरण संख्या **(**जिसमें एक विशिष्ट शुल्क के लिए उन्हें आरक्षित करने और आवंटित करने की शक्ति शामिल है**)** का असाइनमेंट एक विशिष्ट सेवा ए है।

एच.

एम. पी. और ओ. आर. एस. का राज्य बनामराकेश सेठी और ए. एन. आर.

जिनके लिए राज्य या उनके अधिकारी **(**जैसे कि इस मामले में पंजीकरण अधिकारी**)** निर्धारित शुल्क लेने के हकदार हैं।इसलिए**,** एम**.** पी**.** नियमों का नियम **55** ए**,** अधिनियम या केंद्रीय नियमों द्वारा राज्य को प्रदत्त शक्तियों से अधिक नहीं है।**[**पैरा **39] [761-**ई**-**एफ**]**

6. यह कहना सही नहीं है कि राज्य कानून बनाने में सक्षम नहीं था।एम**.** पी**.** राज्य ने मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के माध्यम से संबंधित नियमों को तैयार करने के लिए अपनी शक्तियां प्राप्त कीं।इसलिए**,** जैसा कि ठीक से समझा जाता है**,** तिरस्कार का सवाल नहीं उठा**,** बल्कि यह एक मामला था कि क्या राज्य सरकार को**,** प्रत्यायोजित अधिकारियों में से एक के रूप में**,** संसदीय कानून के माध्यम से नियम बनाने का अधिकार था जो उसने दिया था।**[**पैरा **40] [761-**जी**-**एच**; 762-**ए**]**

बी.

सी.

अपतटीय होल्डिंग्स (पी.) लिमिटेड बनामबैंगलोर विकास

प्राधिकरण (2011) 3 एस. सी. सी. 139:[2011] 1 एससीआर 453;

सरकारी सस्ता अनाज विक्रता संघ बनाम एम**.** पी**.** राज्य **(1981) 4** एस**.** सी**.** सी**. 471;** पोषण सुधार अकादमी बनाम संघ

डी.

भारत (2011) 8 एस. सी. सी. 274:[2011] 8 एससीआर 680; डी. के.

त्रिवेदी एंड संस बनाम गुजरात राज्य **(1986)** पूरक।एससीसी

20 :[1986] 1 एससीआर 479; अफजल उल्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [1964] 4 एस. सी. आर. 991-पर भरोसा किया गया।

ई.

जिला।काउंसिल ऑफ यूनाइटेड खासी एंड जयंतिया हिल्स बनाम

सितिमोन साियन (1971) 3 एस. सी. सी. 708:[1972] 1 एससीआर 398;

भारतीय चिकित्सा संघ बनाम भारतीय संघ **(2011) 7** एस**.** सी**.** सी**. 17:[2011] 6** एससीआर **599;** जंतिया हिल ट्रक ओनर्स एसोसिएशन बनाम शैलांग क्षेत्र कोयला विक्रेता और ट्रक मालिक एसोसिएशन।

(2009) 8 एससीसी 492:[2009] 10 एस. सी. आर. 536; टी. काजी बनाम यू. जोरमानिक सीम [1961] 1 एस. सी. आर. 750; सुरिंदर सिंह बनाम केंद्र सरकार (1986) 4 एस. सी. सी. 667:[1986] 3 एससीआर

एफ.

946; रोहतक और हिसार जिला विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड

बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 1471:[1966] 2 एससीआर 863;

भारत संचार निगम लिमिटेड बनाम दूरसंचार नियामक

जी.

भारत का प्राधिकरण और अन्य। (2014) 3 एससीसी 222:[2013]

12 एस**.** सी**.** आर**. 999;** के**.** रामनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य

(1985) 2 एससीसी **116:[1985] 2** एस**.** सी**.** आर**. 1028-**संदर्भित।

एच.

738 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 7 एस. सी. आर.

ए.

संदर्भित विधि निर्णय

[2011] 1 एससीआर **453**

उस पर भरोसा करें

पैरा **7**

(1981) 4 एस**.** सी**.** सी**. 471**

उस पर भरोसा करें

पैरा **9**

[2011] 8 एससीआर **680**

उस पर भरोसा करें

पैरा **11**

बी.

[1972] 1 एससीआर **398**

संदर्भित किया गया है

पैरा **19**

[2011] 6 एससीआर **599**

संदर्भित किया गया है

पैरा **20**

[2009] 10 एससीआर **536**

संदर्भित किया गया है

पैरा **20**

उस पर भरोसा करें

पैरा **34**

[1964] 4 एससीआर **991**

सी.

[1966] 2 एससीआर **863**

संदर्भित किया गया है

पैरा **34**

[2013] 12 एससीआर **999**

संदर्भित किया गया है

पैरा **34**

[1985] 2 एससीआर **1028**

संदर्भित किया गया है

पैरा **34**

[1986] 1 एससीआर **479**

उस पर भरोसा करें

पैरा **35**

डी.

[1961] 1 एससीआर **750**

संदर्भित किया गया है

पैरा **37**

[1986] 3 एससीआर **946**

संदर्भित किया गया है

पैरा **38**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : 2008 की सिविल अपील सं. 7074।

ई.

2004 के डब्ल्यू. पी. सं. 2344 में जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांक 15.05.2008 के निर्णय और आदेश से।

विक्रमजीत बनर्जी, ए. एस. जी., सौरभ मिश्रा, ए. ए. जी., अर्जुन गर्ग, आकाश नंदोलिया, अंकित स्वरूप, नीलमणि पंत, जावेद तारिक, सुश्री विदिशा स्वरूप, गुरमीत सिंह मक्कर, सुश्री रुक्मिणी बोबडे, नचिकेता जोशी, अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए।

एफ.

मनोज स्वरूप, वरिष्ठ अधिवक्ता। (ए. सी.)

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एस**.** रवींद्र भाट**,** जे**.**

जी.

1. यह अपील मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देती है जिसने मध्य प्रदेश राज्य (इसके बाद "राज्य") द्वारा बनाए गए और उसके द्वारा प्रकाशित मोटर वाहन नियम, 1994 (इसके बाद "राज्य नियम") के नियम 55 ए को रद्द कर दिया था।प्रत्यर्थी (इसके बाद "वाहन मालिक") ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, यह तर्क देते हुए कि उक्त नियम मोटर वाहन ए के तहत राज्य की शक्ति से परे है।

एच.

739

एम. पी. और ओ. आर. एस. का राज्य बनामराकेश सेठी और ए. एन. आर. [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

अधिनियम, 1988 (इसके बाद "अधिनियम") और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 (इसके बाद "केंद्रीय नियम")।उच्च न्यायालय ने उनकी दलीलों को स्वीकार कर लिया।

2. वाहन के मालिक ने मई, 2004 में मोटरसाइकिल खरीदी और फॉर्म संख्या 20 में निर्धारित आवेदन के माध्यम से संबंधित पंजीकरण प्राधिकरण के समक्ष 25-05-2004 पर इसके पंजीकरण के लिए आवेदन किया।एक आदेश द्वारा (27-05-2004 के), पंजीकरण प्राधिकरण ने आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पंजीकरण संख्या 'MP-KL-4646' के आवंटन के लिए वाहन के मालिक का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने उस संख्या के आवंटन के लिए निर्धारित आवश्यक शुल्क का भुगतान नहीं किया था।मोटरसाइकिल को एक और नंबर (एम. पी. 20-के. एल.-5100) आवंटित किया गया था जो याचिकाकर्ता नहीं चाहता था।इसलिए, उन्होंने रिट कार्यवाही में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, यह तर्क देते हुए कि शुल्क के भुगतान पर एक विशेष संख्या का आवंटन (नियम 55 ए में प्रदान किया गया) धारा 41 के प्रावधानों और 1988 के अधिनियम की धारा 65 के तहत नियम बनाने के लिए राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों के विपरीत और असंगत था।उन्होंने 1994 के राज्य नियमों में शामिल संशोधन को एक अधिसूचना द्वारा चुनौती दी।उन्होंने पंजीकरण प्राधिकरण को यह निर्देश देने की भी मांग की कि उन्हें अपनी मोटरसाइकिल के लिए 4646 नंबर दिया जाए।नियम 55 ए के तहत, यह संख्या राज्य द्वारा एक अलग प्रक्रिया द्वारा आवंटित करने के लिए आरक्षित की गई थी।नियम, विशेष रूप से नियम 55 ए ने न केवल प्रक्रिया निर्धारित की, बल्कि ऐसे आरक्षित नंबरों को निर्दिष्ट करने के लिए एक विशेष शुल्क भी निर्धारित किया (जिसमें 4646 शामिल थे, जिन पर वाहन मालिक ने जोर दिया था कि उन्हें आवंटित किया जाना चाहिए)।उन्होंने तर्क दिया कि नियम 55 ए, अधिनियम के प्रावधानों से परे है।

बी.

सी.

डी.

ई.

3. श्री सौरभ मिश्रा, राज्य के विद्वान वकील ने अधिनियम की योजना पर भरोसा किया और इस बात पर प्रकाश डाला कि जहां धारा 41 (2) निस्संदेह नियमों को निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करती है और पंजीकरण संख्या आवंटित करने के लिए एक शुल्क भी प्रदान करती है, फिर भी धारा 41 (6) इसमें विशिष्ट थी, भले ही केंद्र सरकार राज्य को कुछ संख्या आवंटित करने के लिए अधिकृत थी, लेकिन पंजीकरण संख्या के रूप में उन संख्याओं का आगे या आगे पंजीकरण या आवंटन राज्य पर छोड़ दिया गया था।

एफ.

जी.

4. विद्वान वकील ने तर्क दिया कि राज्य के नियम अधिनियम की धारा 65 के तहत प्रदत्त शक्तियों के आधार पर बनाए गए थे, जो राज्य को अन्य बातों के साथ-साथ पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने या नवीनीकरण के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देता है, साथ ही साथ इस तरह के पंजीकरण के लिए ली जाने वाली राशि भी देता है।यह भी तर्क दिया गया कि अधिनियम की धारा 211 के तहत, राज्य प्रस्तुत किए गए आवेदनों के संबंध में शुल्क लगाने का हकदार है

एच.

प्रमाणपत्र, लाइसेंस या पंजीकरण जारी करने के लिए और जैसा कि राज्य ने धारा 211 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरक्षण द्वारा पंजीकरण चिह्न के आवंटन की प्रक्रिया तय की है, ऐसी प्रक्रिया कानून के अनुसार है।श्री मिश्रा ने तर्क दिया कि धारा 41 (6) के आधार पर, पंजीकरण प्राधिकरण किसी भी वाहन को उस पर प्रदर्शन के लिए निर्धारित कर सकता है, एक विशिष्ट चिह्न जिसे पंजीकरण चिह्न के रूप में जाना जाता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस मामले में, क्योंकि नियम 55 ए केवल पंजीकरण प्राधिकरण को एक विशिष्ट पंजीकरण चिह्न निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है, संबंधित व्यक्ति की मांग पर, प्रयोग की गई शक्ति धारा 41 (6) से संबंधित है, और उच्च न्यायालय के निष्कर्ष गलत हैं।

बी.

5. श्री मिश्रा ने बताया कि मोटर वाहनों को पंजीकरण चिह्न देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अधिनियम की धारा 64 (डी) अधिकार देती है

सी.

केंद्र सरकार "उस तरीके और प्रपत्र को निर्धारित करेगी जिसमें वाहनों का पंजीकरण चिह्न प्रदर्शित किया जाना है।"द.

वास्तव में, केंद्र सरकार ने केंद्रीय नियमों के नियम 50 और 51 के तहत मोटर वाहनों पर पंजीकरण चिह्नों के प्रदर्शन का प्रपत्र और तरीका निर्दिष्ट किया है।याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया मुद्दा एक विशेष पंजीकरण श्रृंखला के आवंटन से संबंधित है, जो राज्य के संबंधित पंजीकरण प्राधिकरण के अनन्य क्षेत्र के भीतर है।केंद्र सरकार विशिष्ट पंजीकरण अंकों के आवंटन से चिंतित नहीं है।

डी.

ई.

6. विद्वान वकील ने तर्क दिया कि केंद्र सरकार और राज्यों की शक्तियों को स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया था; इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्यों को विशेष संख्या या संख्या की श्रृंखला के आवंटन पर केंद्र सरकार का विशेष अधिकार था, और पंजीकरण के लिए आवेदन किए जाने पर भुगतान किए जाने वाले शुल्क को निर्धारित कर सकती थी।हालांकि, धारा 41 (6) के तहत, एक बार जब किसी राज्य को संख्याओं की एक श्रृंखला (या अल्फा संख्यात्मक श्रृंखला) आवंटित की जाती है, तो व्यक्तिगत वाहनों के पंजीकरण के रूप में संबंधित संख्या निर्धारित करने के लिए पालन की जाने वाली प्रक्रिया और निर्धारित शुल्क राज्य का होता है।पंजीकरण प्राधिकरण कोई और नहीं बल्कि एक राज्य नामित अधिकारी या एजेंसी है।

एफ.

जी.

7. रिलायंस को ऑफशोर होल्डिंग्स (पी.) लिमिटेड बनाम पर रखा गया था।श्री मिश्रा द्वारा बैंगलोर विकास प्राधिकरण 1, जिन्होंने

इस न्यायालय ने इन टिप्पणियों पर ध्यान दिया कि जब दो कानून, एक केंद्र द्वारा और दूसरा राज्य द्वारा, कथित रूप से परस्पर विरोधी (या एक दूसरे के प्रतिकूल) होते हैं, तो न्यायालय को आसानी से प्रतिकूलता का अनुमान नहीं लगाना चाहिए, लेकिन यह करना चाहिएः

एच.

1 (2011) 3 एससीसी 139।

741

एम. पी. और ओ. आर. एस. का राज्य बनामराकेश सेठी और ए. एन. आर. [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

ए.

“प्रावधानों में सामंजस्य स्थापित करने और उन्हें सामंजस्यपूर्ण तरीके से लागू करने के लिए एक अतिक्रमण को नजरअंदाज करें जो केवल आकस्मिक है।यदि अंततः, दोनों अधिनियमों के प्रावधान बिना किसी संघर्ष के सह-अस्तित्व में रह सकते हैं, तो अदालतों से यह उम्मीद नहीं की जाती है कि वे विचाराधीन कानून को अमान्य कर दें।”

8. इस अदालत ने यह भी कहा था कि अनुच्छेद 254 के तहत संघीय कानूनों की सर्वोच्चता के सिद्धांत कोः

बी.

“आम तौर पर केवल तभी सहारा लिया जाता है जब संघर्ष इतना स्पष्ट और अपरिवर्तनीय हो कि दोनों कानूनों का सह-अस्तित्व संभव न हो।इस तरह का संघर्ष एक वास्तविक होना चाहिए और न कि दो सूचियों में प्रविष्टियों के बीच केवल एक प्रतीत होने वाला संघर्ष।जबकि प्रविष्टियों को उदारता से समझा जाना चाहिए, उनकी अपरिवर्तनीयता और सह-अस्तित्व की असंभवता पेटेंट होनी चाहिए।”

सी.

9. श्री मिश्रा ने इस अदालत के अन्य फैसलों पर भी भरोसा किया, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि संविधान के तहत कानूनों के टकराव या राज्य और केंद्रीय कानूनों के बीच प्रतिकूलता का आसानी से अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए, बल्कि अदालतों को पहले स्पष्ट रूप से परस्पर विरोधी मानदंडों के दो समूहों को सुसंगत बनाने का प्रयास करना चाहिए।2

डी.

वकील ने सरकारी सस्ता अनाज विक्रता संघ बनाम राज्य सरकार पर भी भरोसा किया।

एम. पी. 3 ने आग्रह किया कि एक अलग प्रक्रिया के माध्यम से विशिष्ट पंजीकरण संख्या निर्धारित करने के लिए राज्य द्वारा अपनाया गया पाठ्यक्रम वास्तव में लोकप्रिय मांग का परिणाम था, क्योंकि कई लोग संख्यात्मक, ज्योतिषीय और धार्मिक कारणों से इस तरह के विशिष्ट पंजीकरण संख्या चाहते थे।उन्होंने कहा कि राज्य नियम बनाए बिना अपनी कार्यकारी शक्तियों का भी सहारा ले सकता था, क्योंकि संख्या निर्धारित करने का कार्य अधिनियम की योजना के तहत उसके अधिकार क्षेत्र में आता है।

ई.

10. यह तर्क दिया गया कि धारा 65 (2) (डी) और (के) के साथ धारा 211 का पढ़ना स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि राज्य सरकार उन विषयों के संबंध में नियम बना सकती है जिन पर उसे ऐसा करने का विशेष अधिकार है।जहां तक मोटर वाहनों के पंजीकरण और पंजीकरण के लिए निर्धारित शुल्क का संबंध है, पंजीकरण प्राधिकरण के माध्यम से पंजीकरण संख्या निर्धारित करने या नवीनीकरण की प्रक्रिया प्रदान करने के लिए नियम निर्धारित करने की शक्ति राज्य सरकार की है।इस बात पर जोर देते हुए कि उच्च न्यायालय द्वारा धारा 211 की गलत व्याख्या की गई थी, पता चला

एफ.

जी.

2 फतेहचंद हिम्मतलाल बनाम महाराष्ट्र राज्य [(1977) 2 एस. सी. सी. 670]; भारत संघ बनाम शाह गोवर्धन एल. काबरा शिक्षक महाविद्यालय [(2002) 8 एस. सी. सी. 228] और गिरनार व्यापारी बनाम महाराष्ट्र राज्य [(2011) 3 एस. सी. सी. 1]।

3 (1981) 4 एससीसी 471।

वकील ने प्रस्तुत किया कि यह स्पष्ट रूप से राज्य को एक शुल्क निर्धारित करने का अधिकार देता है जो उसके द्वारा प्रदान की गई सेवा के संबंध में अन्यथा प्रदान नहीं किया गया है।वकील ने तर्क दिया कि राज्य एक अलग सेवा प्रदान करता है, यानी वाहन मालिकों को विशिष्ट वांछित संख्या आवंटित करता है, जिसके लिए वह धारा 41 (2) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित पंजीकरण शुल्क के अलावा शुल्क का दावा कर सकता है।

बी.

11. विद्वान वकील ने अंत में प्रस्तुत किया कि धारा 65 (1) के प्रावधानों की व्यापकता और "बिना

धारा में उप-धारा (1) के प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव

65 (2), धारा 65 (2) (पी) के साथ मिलकर राज्य सरकार को वर्तमान विवाद में शामिल सेवाओं के लिए शुल्क लगाने की शक्ति प्रदान करना था।उन्होंने अकादमी के फैसले पर भरोसा किया

सी.

पोषण सुधार बनाम भारत संघ 4 जहां इस न्यायालय ने एक समान सामग्री अभिव्यक्ति की व्याख्या की थी ("विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता के बिना, ऐसे नियम सभी के लिए या

निम्नलिखित में से कोई भी विषय "5)।इस अदालत ने उस फैसले में निम्नलिखित टिप्पणी की थीः

डी.

“नियम बनाने की शक्ति सौंपने वाले क़ानून एक मानक पैटर्न का पालन करते हैं।संबंधित धारा में पहले एक प्रावधान होगा जो प्रतिनिधि को 'इस अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के लिए' या 'इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए' शब्दों का उपयोग करके सामान्य शब्दों में नियम बनाने की शक्ति प्रदान करेगा।इसके बाद आम तौर पर एक अन्य उप-धारा आती है जिसमें उन मामलों/क्षेत्रों की गणना की जाती है जिनके संबंध में 'विशेष रूप से' शब्दों का उपयोग करके विशिष्ट शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर

प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं।" ऐसे प्रावधानों की व्याख्या करते हुए, इस न्यायालय ने कई निर्णयों में कहा है कि जहां सामान्य शब्दों में अधीनस्थ कानून बनाने की शक्ति प्रदान की जाती है, वहां मामलों/विषयों के बाद के विनिर्देशन को केवल उदाहरण के रूप में माना जाना चाहिए और सामान्य शक्ति के दायरे को सीमित नहीं करना चाहिए।नतीजतन, भले ही धारा 23 (1 ए) में विशिष्ट गणना किए गए विषय केंद्र सरकार को विवादित नियम (नियम 44-I) बनाने के लिए सशक्त नहीं करते हैं, नियम बनाने को केंद्र सरकार को प्रदत्त सामान्य शक्ति के संदर्भ में उचित ठहराया जा सकता है।

ई.

एफ.

जी.

4 (2011) 8 एससीसी 274।

5 धारा 2 (1), खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम, 1954।

एच.

743

एम. पी. और ओ. आर. एस. का राज्य बनामराकेश सेठी और ए. एन. आर. [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

ए.

धारा 23 (1), बशर्ते कि नियम अधिनियम के दायरे से बाहर नहीं जाता है।

12. प्रतिवादी वाहन के मालिक पर वर्तमान कार्यवाही की सूचना की सेवा पूरी हो गई थी। हालांकि उन्होंने अनुपस्थित रहने का फैसला किया है।वर्तमान मामले में शामिल मुद्दों के सार्वजनिक महत्व को ध्यान में रखते हुए, विद्वान वरिष्ठ वकील श्री मनोज स्वरूप को न्याय मित्र के रूप में इस अदालत की सहायता करने के लिए कहा गया था, जो उन्होंने बहुत परिश्रम और उत्साह के साथ किया।न्यायमित्र ने इस अदालत से अपील के तहत दिए गए फैसले में बाधा डालने या हस्तक्षेप नहीं करने का आग्रह किया।उन्होंने अधिनियम की योजना को रेखांकित किया और धारा 41 (1), (2), (3), (6) और (अब हटाई गई 6 धाराओं) को रेखांकित किया।41(13)), और तर्क दिया कि राज्य और केंद्र सरकारों की शक्तियों का स्पष्ट सीमांकन था।धारा 64 (केंद्र सरकार द्वारा) और धारा 65 (राज्य सरकार द्वारा) के तहत नियम बनाने की शक्तियों के परिसीमन पर प्रकाश डालते हुए यह प्रस्तुत किया गया था कि पंजीकरण के आवंटन के लिए शुल्क निर्धारित करने का विषय समाप्त हो गया था; केंद्र सरकार के पास आवश्यक विवरण निर्धारित करने का विशेष अधिकार था, 7 आवेदन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रपत्र और विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र का प्रपत्र।इस प्रकार, राज्य के पास शुल्क निर्धारित करने की कोई शक्ति नहीं थी, विभिन्न आवेदकों को विशिष्ट संख्या

निर्धारित करने की प्रक्रिया के लिए उप-नियम निर्धारित करना बहुत कम था।यह तर्क दिया गया था कि अलग-अलग राज्यों को संख्याओं के क्रम के आवंटन की शक्ति भी अकेले केंद्र सरकार के लिए आरक्षित थी।उन्होंने किसी भी अतिरिक्त शुल्क के प्रिस्क्रिप्शन, या विशिष्ट संख्या निर्धारित करने के लिए एक अलग प्रक्रिया के निर्माण और इच्छुक आवेदकों/वाहन मालिकों से अधिक राशि लेने से इनकार कर दिया।13. श्री स्वरूप ने तर्क दिया कि धारा 211 में कहा गया है कि यदि किसी भी नियम के अनुसार, केंद्र या राज्य सरकार को मोटर वाहन अधिनियम के तहत बनाने का अधिकार है, तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

सरकारों को, किसी भी स्पष्ट प्रावधान के अभाव के बावजूद, आवेदन, प्रमाण पत्र जारी करने में संशोधन के लिए आवेदन और उसमें प्रदान किए गए अन्य मामलों जैसे विभिन्न मदों के संबंध में इस तरह के शुल्क लगाने का प्रावधान करने का अधिकार है।यह तर्क दिया गया था कि

धारा 211 के तहत शुल्क लगाने के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार को ऐसा नियम बनाने का अधिकार देने वाला प्रावधान होना चाहिए।ऐसी शक्ति का प्रयोग उन मामलों के संबंध में नहीं किया जा सकता है जिनके लिए अधिनियम राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति नहीं देता है।चूँकि मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए शुल्क निर्धारित करने की शक्ति निहित है

जी.

6 संसद द्वारा 2019 के अधिनियम 32 के माध्यम से संशोधन के आधार पर।7 फॉर्म 20, केंद्रीय नियमों से जुड़ा हुआ है।

एच.

8 केंद्रीय नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र 23 और 23 ए।

धारा 41 (2) के तहत केंद्र सरकार, धारा 211 के तहत शुल्क लगाने की शक्ति का उपयोग राज्य सरकार द्वारा केवल तभी किया जा सकता है जब वह अधिनियम के तहत मोटर वाहन के

पंजीकरण के उद्देश्य से शुल्क निर्धारित करने के लिए सशक्त हो।अधिनियम राज्य सरकार को वाहन के पंजीकरण के लिए शुल्क लगाने का अधिकार नहीं देता है, इसलिए धारा 211 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोटर वाहन के लिए पंजीकरण चिह्न के आवंटन के लिए कोई शुल्क निर्धारित नहीं किया जा सकता है।यह प्रस्तुत किया गया था कि पंजीकरण संख्या निर्धारित करने का तथाकथित अधिकार आवंटन की प्रक्रिया में केवल अंतिम कदम है, जिसके लिए केंद्र सरकार धारा 41 (2) के तहत शुल्क लगाती है।14. श्री स्वरूप ने तर्क दिया कि राज्य को केवल धारा 14 की उप-धारा (13) के तहत प्रमाण पत्र जारी करने या नवीनीकरण या राशि या राशि की वसूली के लिए प्रक्रिया प्रदान करने वाले नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, यानी धारा 41 की उप-धारा (1) के तहत या मोटर वाहन पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए धारा 41 की उप-धारा (8) के तहत मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन दायर करने में देरी के लिए मालिक की ओर से भुगतान की जाने वाली राशि निर्धारित करने की शक्ति प्रदान की गई है। ये प्रावधान राज्य को मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए शुल्क तय करने का नियम बनाने का अधिकार नहीं देते हैं।इसलिए, यह स्पष्ट है कि अधिनियम के तहत, मोटर वाहनों के पंजीकरण के लिए शुल्क निर्धारित करने की शक्ति केवल केंद्र सरकार को प्रदान की गई है, और इस तरह की शक्ति का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार पहले ही केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 81 के तहत शुल्क निर्धारित कर चुकी है।

बी.

सी.

डी.

ई.

15. इसके बाद, अधिनियम की धारा 47 (7), 49 (4) और 50 (5) पर भी निर्भरता रखी गई। न्यायमित्र ने तर्क दिया कि इन प्रावधानों ने राज्य को विशेष रूप से एक राज्य से दूसरे राज्य में वाहनों के पंजीकरण के हस्तांतरण के लिए शुल्क के रूप में राशि निर्धारित करने की शक्तियां प्रदान की हैं; पंजीकरण प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए, और स्वामित्व के हस्तांतरण पर।इसलिए, उन्होंने आग्रह किया कि केंद्र द्वारा संख्याओं के "आवंटन" और राज्य पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा उनके आगे के असाइनमेंट और बाद वाले के लिए एक अलग शुल्क लेने के बीच अंतर करके एक अविभाज्य प्रक्रिया को विभाजित करना अस्वीकार्य था।राज्य को विशेष रूप से गणना की गई सेवाओं के लिए शुल्क के रूप में राशि निर्धारित करने में सक्षम बनाने वाले विशिष्ट प्रावधानों की अनुपस्थिति, एक पंजीकृत संख्या "निर्दिष्ट" करने के लिए राज्य को शुल्क लगाने से बाहर करने के संसदीय इरादे को दर्शाती है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने धारा 41 (2) के तहत शुल्क निर्धारित किया था।वकील ने यह भी आग्रह किया कि धारा 41 (2) के प्रावधान में धारा 65 और 211 के तहत राज्य की शक्तियों सहित वाहनों के पंजीकरण के संबंध में किसी भी शुल्क को निर्धारित करने की शक्ति को बाहर करने का प्रभाव था।

एफ.

जी.

एच.

745

एम. पी. और ओ. आर. एस. का राज्य बनामराकेश सेठी और ए. एन. आर. [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

ए.

16. श्री स्वरूप ने अब निरस्त किए गए मोटर वाहन अधिनियम, 1939 के प्रावधानों की तुलना अधिनियम से करने की कोशिश की। उन्होंने तर्क दिया कि धारा 41 (2) किसी विषय के संबंध में राज्य की शक्ति को बाहर करने के संसदीय इरादे को प्रकट करती है, जहां ऐसी शक्ति पहले मौजूद थी।उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पुराने कानून के तहत, अलग-अलग राज्य अलग-अलग मानकों के अनुसार शुल्क निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र थे।हालाँकि, यह अधिनियम एक सुधार था, क्योंकि एक शुल्क की एकल शक्ति, धारा 41 (2) के तहत निर्धारित की जा सकती थी।

बी.

17. न्यायमित्र ने अंत में केंद्र सरकार 9 द्वारा जारी एक अधिसूचना पर भरोसा किया, जिसमें "उपयोग के लिए" पत्रों के निर्दिष्ट समूहों को सौंपा गया था।

प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए पंजीकरण चिह्न के रूप में राज्य सरकार द्वारा आवंटित पंजीकरण प्राधिकरण की कोड संख्या या, जैसा भी मामला हो, प्रशासक, चार अंकों से अधिक नहीं, पंजीकरण के रूप में उपयोग किया जाएगा।

सी.

निशान।" यह आग्रह किया गया कि अधिसूचना, सारणीबद्ध रूप में निर्धारित करने के बाद, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सौंपे गए पत्रों में आगे निर्देश दिया जाए कि जब भी पहले उल्लिखित चार आंकड़े "पहुंचे"।

डी.

9999, अगली श्रृंखला वर्णमाला 'ए' से शुरू होगी जिसके बाद चार से अधिक अंक नहीं होंगे और उसके बाद वर्णमाला 'बी' के बाद चार से अधिक अंक नहीं होंगे।

18. वकील ने जोर देकर कहा कि इस अभ्यास के परिणामस्वरूप संबंधित राज्यों को पत्रों और संख्याओं का आवंटन किया गया, जिन्हें तब केवल एक पूर्व निर्धारित अनुक्रम के आधार पर उन्हें निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया का पालन करना था।किसी भी परिस्थिति में राज्य या पंजीकरण

प्राधिकरण विशेष कार्य के लिए कुछ या कुछ नंबरों को नहीं चुन सकता था, और एक अलग, अधिक शुल्क नहीं ले सकता था।

ई.

19. विद्वान वकील ने जिला पर भरोसा किया।संयुक्त खासी और जयंतिया हिल्स की परिषद बनाम सिटिमोन सावियन 10 जहाँ, इस अदालत ने

एफ.

शब्द "आवंटित" और अभिनिर्धारित किया कि

“मानक शब्दकोशों के अनुसार "आबंटन" शब्द का अर्थ है, लॉट द्वारा वितरित करना, या इस तरह से कि प्राप्तकर्ताओं के पास कोई विकल्प न हो; जितना हो सके उतना आवंटित करना या विभाजित करना; और "आबंटन" शब्द का अर्थ है, विभाजित करना; आबंटन की क्रिया; एक को आवंटित हिस्सा; खेती के लिए पट्टे पर दी गई भूमि का छोटा हिस्सा।”

जी.

9 एस. ओ. 444 (ई) दिनांक 12 जून, 1989। 10 (1971) 3 एस. सी. सी. 708 पी.712.

एच.

20. यह प्रस्तुत किया गया था कि धारा 41 (2) के तहत उस उद्देश्य के लिए पंजीकरण का आवंटन और शुल्क निर्धारित करना, इसी तरह अवधि के भीतर, आवेदन के प्रकार, शुल्क का भुगतान, उपयोग किए जाने वाले प्रपत्र सहित पूरी प्रक्रिया को शामिल करता है। ये सभी केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं; राज्य अंतिम अंग को अलग नहीं कर सकता है और व्यक्तियों को वास्तविक संख्या "निर्दिष्ट" करने के लिए शुल्क वसूल करने की मांग नहीं कर सकता है।विद्वान वकील ने भारतीय चिकित्सा संघ बनाम भारत संघ 11 के निर्णय पर भी भरोसा किया, जहाँ यह अभिनिर्धारित किया गया था कि

बी.

“66. शब्द "अलॉट", अपने क्रिया रूप में, संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड शब्दकोश [8 वीं संस्करण, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस (1990)] द्वारा परिभाषित किया गया है, जिसमें आधिकारिक रूप से देने या विभाजित करने, वितरित करने के कार्य का अर्थ शामिल है।आवंटन वह है जो इस तरह के एक अधिनियम यानी एक विभाजन का परिणाम है।"आरक्षित" शब्द को "किसी विशेष

व्यक्ति के लिए विशेष रूप से बनाए रखने या आवंटित करने के आदेश" के अर्थ को भी शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है, और "आरक्षण" शब्द आरक्षण या आरक्षित होने का कार्य या उदाहरण है।"आबंटित" शब्द को किसी उद्देश्य के लिए या किसी व्यक्ति को कुछ सौंपने या समर्पित करने के लिए एक कार्य के अर्थ को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है।"

सी.

डी.

श्री स्वरूप ने अंत में जंतिया में इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया

पहाड़ी ट्रक मालिक संघ बनाम शैलांग क्षेत्र कोयला विक्रेता और ट्रक मालिक संघ। 12.

ई.

21. संघ की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री विक्रमजीत बनर्जी ने राज्य की स्थिति का समर्थन किया।उन्होंने आग्रह किया कि अधिनियम की धारा 39 के तहत सड़कों पर चलने वाले प्रत्येक मोटर वाहन को पंजीकृत किया जाना चाहिए।अधिनियम की धारा 40 में निर्धारित किया गया है कि ऐसा पंजीकरण राज्य सरकार के संबंधित पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा किया जाता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में वाहन का मालिक रहता है या जिसका व्यवसाय का स्थान है।अधिनियम की धारा 41 (6) के अनुसार वाहन को पंजीकरण चिह्न देना राज्य सरकार के संबंधित पंजीकरण प्राधिकरण का कर्तव्य है। मोटर वाहनों के पंजीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट शुल्क होना चाहिए।केंद्र सरकार केंद्रीय नियमों के नियम 81 के तहत वाहनों के पंजीकरण के लिए शुल्क पहले ही निर्दिष्ट कर चुकी है। 22. ए. एस. जी. ने आग्रह किया कि अधिनियम की धारा 64 (डी) केंद्र सरकार को उस तरीके और रूप को निर्धारित करने का अधिकार देती है जिसमें

एफ.

जी.

11 (2011) 7 एस. सी. सी. 17 9 पी.217. 12 (2009) 8 एस. सी. सी. 492 पी.500.

एच.

747

एम. पी. और ओ. आर. एस. का राज्य बनामराकेश सेठी और ए. एन. आर. [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

ए.

वाहनों का पंजीकरण चिह्न प्रदर्शित किया जाना है।तदनुसार, केंद्र सरकार ने केंद्रीय नियमों के नियम 50 और 51 के तहत मोटर वाहनों पर पंजीकरण चिह्नों के प्रदर्शन का प्रपत्र और तरीका

निर्दिष्ट किया है।इस मामले में मुद्दा, यानी किसी विशेष पंजीकरण संख्या के आवंटन से संबंधित, राज्य सरकार के पंजीकरण प्राधिकरण से संबंधित है, न कि संघ से।यह तर्क दिया गया कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 65 के तहत, राज्य सरकारों के पास मोटर वाहनों के पंजीकरण से संबंधित मुद्दों पर नियम बनाने की शक्ति है, जो अधिनियम की धारा 64 के तहत नहीं आते हैं। अधिनियम के 65 (2) (बी) के तहत, पंजीकरण और अन्य निर्धारित प्राधिकरणों की नियुक्ति, कार्य और अधिकार क्षेत्र राज्य सरकार के दायरे में आते हैं।इसके अलावा, अधिनियम की धारा 65 (2) (बी) के तहत, राज्यों को मोटर वाहनों के पंजीकरण से संबंधित किसी भी अन्य मामले पर नियम बनाने की शक्ति निहित है, जिसे निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है।पंजीकरण चिह्न का आवंटन संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।राज्य इस उद्देश्य के लिए नियम बनाने के लिए सक्षम हैं।

बी.

सी.

अधिनियम के प्रावधान

डी.

23. अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को नीचे दोहराया गया हैः

“39. पंजीकरण के लिए आवश्यकता।—कोई भी व्यक्ति गाड़ी नहीं चलाएगा।

मोटर वाहन और मोटर वाहन का कोई भी मालिक किसी भी सार्वजनिक स्थान या किसी अन्य स्थान पर वाहन को चलाने या चलाने की अनुमति नहीं देगा जब तक कि वाहन इस अध्याय के अनुसार पंजीकृत न हो और वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र निलंबित या रद्द नहीं किया गया हो और वाहन में निर्धारित तरीके से प्रदर्शित पंजीकरण चिह्न न हो।

ई.

एफ.

बशर्ते कि इस धारा में कुछ भी विक्रेता के कब्जे वाले मोटर वाहन पर ऐसी शर्तों के अधीन लागू नहीं होगा जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएं।

40. पंजीकरण, कहाँ किया जाना है।— विषय के अधीन

धारा 42, धारा 43 और धारा 60 के प्रावधानों के अनुसार, मोटर वाहन का प्रत्येक मालिक वाहन को एक पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत कराएगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में उसका निवास या व्यवसाय का स्थान है जहां वाहन को सामान्य रूप से रखा जाता है।

जी.

41. पंजीकरण, कैसे किया जाए।— (1) द्वारा एक आवेदन

या पंजीकरण के लिए मोटर वाहन के मालिक की ओर से

एच.

वह ऐसे प्रपत्र में होगा और उसके साथ ऐसे दस्तावेज, विवरण और जानकारी होगी और ऐसी अवधि के भीतर दी जाएगी जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाए:बशर्ते कि जहां एक मोटर वाहन एक से अधिक व्यक्तियों के संयुक्त स्वामित्व में है, वहां सभी मालिकों की ओर से उनमें से एक द्वारा आवेदन किया जाएगा और ऐसे आवेदक को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मोटर वाहन का मालिक माना जाएगा।

बी.

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन के साथ ऐसा शुल्क होगा जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए।

सी.

(3) पंजीकरण प्राधिकरण अपने द्वारा पंजीकृत मोटर वाहन के मालिक को ऐसे प्रपत्र में पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करेगा जिसमें ऐसे विवरण और जानकारी और ऐसी रीति होगी जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाए।

डी.

(4) पंजीकरण के प्रमाण पत्र में शामिल किए जाने के लिए आवश्यक अन्य विवरणों के अलावा, यह मोटर वाहन के प्रकार को भी निर्दिष्ट करेगा, जो एक प्रकार है जैसा कि केंद्र सरकार, मोटर वाहन के डिजाइन, निर्माण और उपयोग को ध्यान में रखते हुए, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे।

ई.

(5) पंजीकरण प्राधिकरण उप-धारा (3) में निर्दिष्ट प्रमाण पत्र के विवरण को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके से बनाए रखने के लिए एक रजिस्टर में दर्ज करेगा।

एफ.

(6) पंजीकरण प्राधिकरण वाहन को, उस पर प्रदर्शित करने के लिए, एक विशिष्ट चिह्न (इस अधिनियम में पंजीकरण चिह्न के रूप में संदर्भित) निर्दिष्ट करेगा, जिसमें उन पत्रों के समूहों में से एक समूह शामिल होगा और उसके बाद ऐसे पत्र और आंकड़े होंगे जो केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य को आवंटित किए जाते हैं और मोटर

वाहन पर ऐसे रूप में और ऐसी तरीके से प्रदर्शित और दिखाए जाते हैं जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए।

जी.

***** ए.

एच.

749

एम. पी. और ओ. आर. एस. का राज्य बनामराकेश सेठी और ए. एन. आर. [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

64. केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति।— द.

केंद्र सरकार निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए नियम बना सकती है, अर्थात्:

(क) वह अवधि जिसके भीतर और वह प्रपत्र जिसमें आवेदन किया जाएगा और धारा 41 की उप-धारा (1) के तहत इसके साथ दस्तावेज, विवरण और जानकारी होगी;

बी.

(ख) वह प्रपत्र जिसमें पंजीकरण का प्रमाण पत्र बनाया जाएगा और उसमें विवरण और जानकारी होगी और वह तरीका जिसमें इसे धारा 41 की उप-धारा (3) के तहत जारी किया जाएगा;

सी.

(ग) वह प्रपत्र और तरीका जिसमें धारा 41 की उप-धारा (5) के तहत पंजीकरण प्राधिकरण के अभिलेखों में पंजीकरण प्रमाण पत्र का विवरण दर्ज किया जाएगा; (घ) वह तरीका और प्रपत्र जिसमें धारा 41 की उप-धारा (6) में निर्दिष्ट पंजीकरण चिह्न, पत्र और आंकड़े और अन्य विवरण प्रदर्शित और दिखाए जाएंगे।1. 1994 के अधिनियम 54 द्वारा अंतःस्थापित,एस. 19 (डब्ल्यू. ई. एफ. 14-11-1994)।(ङ) वह अवधि जिसके भीतर और वह प्रपत्र जिसमें आवेदन किया जाएगा और उसमें धारा 41 की उप-धारा (8) के तहत विवरण और जानकारी होगी;

डी.

ई.

(च) वह प्रपत्र जिसमें धारा 41 की उप-धारा (14) में निर्दिष्ट आवेदन किया जाएगा, उसमें विवरण और जानकारी होगी और शुल्क लिया जाएगा;

(छ) वह प्रपत्र जिसमें वह अवधि जिसके भीतर धारा 47 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन किया जाएगा और उसमें विवरण शामिल होंगे;

एफ.

(ज) वह प्रपत्र जिसमें और जिस तरीके से "अनापत्ति प्रमाणपत्र" के लिए आवेदन धारा 48 की उप-धारा (1) के तहत किया जाएगा और धारा 48 की उप-धारा (2) के तहत जारी की जाने वाली रसीद का प्रपत्र;

जी.

(i) धारा 48 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाने से पहले आवेदक द्वारा जिन मामलों का अनुपालन किया जाना है;

एच.

(जे) वह प्रपत्र जिसमें धारा 49 की उप-धारा (1) के तहत पते में परिवर्तन की सूचना दी जाएगी और आवेदन के साथ जमा किए जाने वाले दस्तावेज;

((ट) वह प्रपत्र जिसमें और जिस तरीके से धारा 50 की उप-धारा (1) के तहत या धारा 50 की उप-धारा (2) के तहत स्वामित्व हस्तांतरण की सूचना दी जाएगी और आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला दस्तावेज;

बी.

(l) वह प्रपत्र जिसमें धारा 51 की उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के तहत आवेदन किया जाएगा;

(एम) वह प्रपत्र जिसमें धारा 56 की उप-धारा (1) के तहत योग्यता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और इसमें विवरण और जानकारी होगी;

सी.

(एन) वह अवधि जिसके लिए धारा 56 के तहत दिया गया या नवीनीकृत योग्यता प्रमाण पत्र प्रभावी होगा;

(o) पंजीकरण के प्रमाण पत्र जारी करने या नवीनीकरण या परिवर्तन के लिए, पंजीकरण के प्रमाण पत्र पर स्वामित्व के हस्तांतरण के संबंध में प्रविष्टि करने के लिए, पंजीकरण के प्रमाण पत्र पर किराया-खरीद या पट्टा या परिकल्पना के समझौते के संबंध में समर्थन करने या रद्द करने के लिए, पंजीकरण अंकों के लिए योग्यता प्रमाण पत्र के लिए, और मोटर वाहनों की परीक्षा या निरीक्षण के लिए, और ऐसे शुल्क की वापसी के लिए शुल्क लिया जाएगा।

डी.

ई.

(पी) कोई अन्य मामला जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाना है या किया जा सकता है।

65. नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति।— (1) एक राज्य

एफ.

सरकार धारा 64 में विनिर्दिष्ट मामलों के अलावा इस अध्याय के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से नियम बना सकती है।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित प्रावधान किए जा सकते हैं -

जी.

(क) उन अपीलों का संचालन और सुनवाई जो इस अध्याय के तहत पसंद की जा सकती हैं (ऐसी अपीलों के संबंध में भुगतान की जाने वाली फीस और ऐसी फीस की वापसी);

(बी) पंजीकरण और अन्य निर्धारित प्राधिकरणों की नियुक्ति, कार्य और अधिकार क्षेत्र; ए

एच.

(ग) इस अध्याय और उसके तहत बनाए गए नियमों के सभी या किसी भी प्रावधान और ऐसी छूट को नियंत्रित करने वाली शर्तों से केवल सड़कों के निर्माण, मरम्मत और सफाई के लिए डिज़ाइन किए गए और उपयोग किए जाने वाले रोड-रोलर, ग्रेडर और अन्य वाहनों को छूट;

(घ) खोए हुए, नष्ट या विकृत प्रमाण पत्रों को बदलने के लिए पंजीकरण और योग्यता के प्रमाण पत्र और ऐसे प्रमाण पत्रों की प्रतिकृतियां जारी करना या उनका नवीनीकरण करना;

बी.

(ई) सकल वाहन वजन से संबंधित विवरणों की प्रविष्टियों के संशोधन के लिए पंजीकरण प्राधिकरण के समक्ष पंजीकरण प्रमाण पत्र का उत्पादन;

सी.

(च) मोटर वाहनों का अस्थायी पंजीकरण, और पंजीकरण और अंकों का अस्थायी प्रमाण पत्र जारी करना; (छ) वह तरीका जिसमें धारा 58 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट विवरण और अन्य निर्धारित विवरण प्रदर्शित किए जाएंगे;

डी.

(ज) निर्धारित व्यक्तियों या व्यक्तियों के निर्धारित वर्गों को इस अध्याय के तहत देय शुल्क के सभी या किसी भी हिस्से के भुगतान से छूट;

(i) इस अध्याय के प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों के अलावा अन्य प्रपत्र; (जे) पंजीकरण प्रमाण पत्रों के विवरण के पंजीकरण प्राधिकरणों और राज्य के बाहर पंजीकृत वाहनों के मालिकों द्वारा ऐसे वाहनों के विवरण और उनके पंजीकरण के बारे में संचार;

ई.

एफ.

((ट) धारा 41 की उप-धारा (13) या धारा 47 की उप-धारा (7) या धारा 49 की उप-धारा (4) या धारा 50 की उप-धारा (5) के अधीन राशि या राशियाँ;

(एल) उनके नवीनीकरण के लिए आवेदनों पर विचार होने तक योग्यता प्रमाण पत्रों की वैधता का विस्तार; (एम) इस अध्याय के प्रावधानों से छूट, और डीलरों के कब्जे में मोटर वाहनों की छूट के लिए शर्तें और शुल्क;

जी.

(एन) वह प्रपत्र जिसमें और वह अवधि जिसके भीतर धारा 62 के तहत विवरणी भेजी जाएगी;

एच.

(ओ) धारा 63 के तहत मोटर वाहनों के राज्य रजिस्टर को बनाए रखने का तरीका;

(पी) कोई अन्य मामला जो निर्धारित किया जाना है या किया जा सकता है।"

****

बी.

211. शुल्क लगाने की शक्ति।— कोई भी नियम जिसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार इस अधिनियम के तहत बनाने के लिए सशक्त है, उस प्रभाव के लिए किसी भी स्पष्ट प्रावधान के अभाव के बावजूद, आवेदनों, दस्तावेजों के संशोधन, प्रमाण पत्र, लाइसेंस, परमिट, परीक्षण,

समर्थन, बैज, प्लेट, काउंटरसिग्नेचर, प्राधिकरण, आंकड़ों या दस्तावेजों या आदेशों की प्रतियों की आपूर्ति और इस अधिनियम या उसके तहत अधिकारियों या प्राधिकरणों द्वारा किसी भी सेवा को प्रदान करने से जुड़े किसी अन्य उद्देश्य या मामले के संबंध में ऐसे शुल्क लगाने का प्रावधान कर सकती है जो आवश्यक समझा जाएः

सी.

डी.

बशर्ते कि सरकार, यदि ऐसा करना आवश्यक समझती है, तो जनहित में, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, किसी भी वर्ग के व्यक्तियों को ऐसे किसी भी शुल्क के आंशिक या पूर्ण भुगतान से छूट दे सकती है।"

ई.

विश्लेषण और निष्कर्ष

24. जैसा कि अधिनियम के प्रासंगिक उद्धरणों से स्पष्ट है, धारा 39 प्रत्येक वाहन मालिक को पंजीकरण सुरक्षित करने के लिए बाध्य करती है; प्रत्येक मालिक को पंजीकरण प्राधिकरण (अधिनियम की धारा 65 (2) (बी) 13 के आधार पर राज्य द्वारा नामित) से संपर्क करके अपने वाहन को पंजीकृत करना होता है।

एफ.

25. धारा 41 (1), अनुक्रम में अगला, केंद्र सरकार को ऐसे पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र निर्धारित करने में सक्षम बनाता है।इसके लिए दो प्रावधान हैं; 2019 में जोड़ा गया दूसरा प्रावधान कहता है कि एक नए मोटर वाहन के मामले में, उस राज्य में पंजीकरण के लिए आवेदन ऐसे मोटर वाहन के विक्रेता द्वारा किया जाएगा, यदि नया

जी.

13 अधिनियम की धारा 65 (2) (बी) इस प्रकार हैः

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए प्रावधान कर सकते हैंः

XXXXXXXXXX

(ख) पंजीकरण और अन्य निर्धारित प्राधिकरणों की नियुक्ति, कार्य और अधिकारिता।

एच.

753

एम. पी. और ओ. आर. एस. का राज्य बनामराकेश सेठी और ए. एन. आर. [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

ए.

मोटर वाहन उसी राज्य में पंजीकृत है।धारा 41 (2) के अनुसार, पंजीकरण के लिए आवेदन के साथ "ऐसा शुल्क होना चाहिए जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए।" धारा 41 (3) के अनुसार, पंजीकरण प्राधिकरण को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रासंगिक विवरणों वाले ऐसे प्रपत्र में मालिक के नाम पर पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करना होता है।

बी.

26. धारा 41 (6) जिसका अंतःक्रिया धारा 41 (2) के साथ सीधे मुद्दे में है-यह अधिनियमित करती है कि पंजीकरण प्राधिकरण "

उस पर एक विशिष्ट चिह्न प्रदर्शित करने के लिए वाहन जिसमें उन अक्षरों के समूहों में से एक समूह होता है और उसके बाद ऐसे अक्षर और आंकड़े होते हैं जो केंद्र द्वारा राज्य को आवंटित किए जाते हैं।

सी.

समय-समय पर सरकार "।अब इस प्रावधान को दो भागों में विभाजित किया गया है।यद्यपि "विशिष्ट चिह्न" निर्धारित करने का पंजीकरण प्राधिकरण का कर्तव्य पहली घटना के रूप में अधिनियमित किया गया है, वास्तव में, क्रम में, पत्रों के समूहों का आवंटन और उसके बाद ऐसे पत्रों और आंकड़ों का आवंटन (जिनका उल्लेख प्रावधान के उत्तरार्ध में मिलता है), जो केंद्र सरकार द्वारा राज्य को आवंटित किए जाते हैं, एक ऐसी घटना होगी जो ऐसे विशिष्ट चिह्न और संख्या के आवंटन से पहले होती है।धारा 41 (6) के तहत संख्या आवंटित करने की इस शक्ति का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा जारी 12.06.1989 की अधिसूचना ने प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को पत्रों के विशिष्ट समूहों को आवंटित किया है। अधिसूचना के अनुसार, पत्रों के इस समूह के बाद पंजीकरण प्राधिकरण की कोड संख्या आवंटित की जानी है।

डी.

ई.

राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक "।अधिसूचना,

अक्षरों के समूहों को निर्धारित करने के बाद, यह कहा जाता है कि जहां इसमें पहले उल्लिखित चार अंक (यानी अधिसूचना) 9999 तक पहुंचते हैं, अगली श्रृंखला वर्णमाला ए के साथ शुरू होगी, उसके बाद चार से अधिक अंक नहीं होंगे और उसके बाद वर्णमाला बी के साथ, और इसी तरह।यह अधिसूचना राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को कोड संख्या आवंटित करने और उसके बाद अंकों (प्रश्न में चार संख्या) को निर्दिष्ट करने के विशिष्ट कार्य के साथ चेहरे पर पढ़ने के लिए तैयार करती है।27. उच्च न्यायालय का अपने विवादित निर्णय में तर्क यह है कि पंजीकरण के लिए आवेदन के लिए शुल्क निर्धारित करने का क्षेत्र विशेष रूप से केंद्र सरकार को प्रदान किया गया है, इस प्रकार उस कार्य के हिस्से के रूप में किसी भी प्रकार के शुल्क या

राशि का दावा करने की किसी भी राज्य की शक्ति को उसके व्यापक अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है।न्यायमित्र ने विवादित नियम 55 ए को पंजीकरण चिह्न के आवंटन की एक अविभाज्य प्रक्रिया में अंतिम चरण को अलग करने और अलग करने के रूप में वर्णित किया।

एफ.

जी.

एच.

28. इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि धारा 211 का कोई परिणाम नहीं था और राज्य सरकार द्वारा इसे लागू नहीं किया जा सकता था क्योंकि पंजीकरण संख्या के आवंटन के लिए शुल्क लेने का क्षेत्र पूरी तरह से धारा 41 (2) द्वारा कब्जा कर लिया गया था। इसने यह भी माना कि इसी तर्क के अनुसार, राज्य को इस संबंध में कोई शुल्क लेने के लिए धारा 65 (2) के तहत नियम बनाने की कोई शक्ति नहीं है।न्यायमित्र ने धारा 65 (2) (के) का संदर्भ दिया था जो स्पष्ट रूप से धारा 41 (13); धारा 47 (7), धारा 49 (4) या धारा 50 (5) के तहत देय राशि या राशियों को निर्धारित करने की राज्य की शक्ति की बात करता है। इनमें से प्रत्येक प्रावधान में यह भी कहा गया था कि जब भी संसद राज्य सरकार को शुल्क या राशि वसूलने का अधिकार देने का इरादा रखती है, तो वह ऐसा करती है

बी.

स्पष्ट रूप से और यह कि अभिव्यक्ति का नियम एक अपवाद है

सी.

परिस्थितियों में लागू किया गया।29. इस न्यायालय की राय है कि उच्च न्यायालय ने अपने विवादित फैसले में धारा 211 के वास्तविक महत्व को नजरअंदाज कर दिया।राज्य को सशक्त बनाने वाले विशिष्ट प्रावधानों (जैसे धारा 41 (13), 47 (7), 49 (4) और 50 (5)) के अस्तित्व का अर्थ है कि राशि का दावा करने या वसूल करने की राज्य की शक्ति को स्पष्ट प्रावधानों द्वारा विशेष रूप से मान्यता प्राप्त है।इसके अलावा, कुछ ऐसी सेवाएं और कार्य हैं जिनके लिए राज्य को शुल्क लगाने का अधिकार है।यह सटीक रूप से इन आकस्मिकताओं को कवर करने के लिए है, यानी जहां सेवा प्रदान की जाती है या कुछ कार्य किया जाता है, कि राज्य को शुल्क लगाने के लिए एक अवशिष्ट प्रावधान (केंद्र सरकार की तरह जिसके साथ वह समवर्ती रूप से शक्ति साझा करता है) द्वारा सशक्त किया जाता है।इस संबंध में, यह ध्यान

रखना उपयोगी होगा कि धारा 211 व्यापक रूप से लागू की गई है और कोई भी नियम जिसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार इस अधिनियम के तहत बनाने के लिए सशक्त है, इसके अभाव के बावजूद हो सकता है।

डी.

ई.

उस प्रभाव के लिए किसी भी स्पष्ट प्रावधान के तहत आवेदनों, दस्तावेजों में संशोधन, प्रमाण पत्र, लाइसेंस, परमिट, परीक्षण, समर्थन, बैज, प्लेट, प्रति-हस्ताक्षर, प्राधिकरण, आंकड़ों की आपूर्ति या दस्तावेजों या आदेशों की प्रतियों के संबंध में ऐसे शुल्क लगाने का प्रावधान है।

एफ.

किसी भी सेवा का प्रदान करना।स्पष्ट रूप से, इसलिए, संसद का इरादा था कि ऐसी आकस्मिकताएँ जो शुल्क या राशियाँ लगाने की किसी विशिष्ट शक्ति के दायरे में नहीं आती हैं, जिनमें राज्य की ओर से कोई गतिविधि शामिल होती है, जिसमें कोई भी सेवा प्रदान करना शामिल है, वैध रूप से शुल्क लिया जा सकता है या शुल्क या राशियों के उद्ग्रहण के अधीन हो सकता है।

जी.

30. ए द्वारा अधिसूचित एक अधिकारी/एजेंसी या विभाग के माध्यम से पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा संख्याओं का आवंटन, जैसा कि पहले देखा गया है।

एच.

एम. पी. और ओ. आर. एस. का राज्य बनामराकेश सेठी और ए. एन. आर. [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

राज्य सरकार को केवल एक कदम के रूप में नहीं देखा जा सकता है-भले ही पंजीकरण आवंटन प्रक्रिया के अंतिम चरण में हो।वास्तव में, हालांकि यह आवंटन प्रक्रिया की पराकाष्ठा है, फिर भी यह एक महत्वपूर्ण कदम है।इस न्यायालय की राय में, राज्य को संख्या के समनुदेशन के लिए प्रक्रियाओं के एक विशेष समूह को निर्धारित करके अपनी पसंद या समनुदेशन के तरीके को इंगित करने का अधिकार है।इस प्रकार, उदाहरण के लिए, संबंधित "कोड" का असाइनमेंट-व्यक्तिगत पंजीकरण प्राधिकरणों को संख्या के असाइनमेंट के बाद एक पूर्व निर्धारित पैटर्न का पालन किया जा सकता है जो जिलेवार, राज्य सरकार के विभागवार (सार्वजनिक स्वामित्व वाले वाहनों के मामले में), बसों और भारी वाहनों के लिए अलग-अलग अनुक्रम आदि हो सकता है। यदि असाइनमेंट के तरीके को निर्धारित करके ऐसा पूर्व निर्धारित विकल्प चुना जा सकता है, तो

यह नियामक और साथ ही राज्य नीति का संकेत भी है।अपने आप में, न्यायालय सेवा के उस तत्व को दरकिनार नहीं कर सकता है जो शामिल हो सकता है-विशेष रूप से यदि आम जनता या इसका एक उप-खंड, विभिन्न विचारों के लिए विशेष संख्या का चयन करना चाहता है।इस तरह की "काल्पनिक" संख्याएँ या "शुभ" संख्याएँ राज्य के लोगों की विशिष्ट सामाजिक-सांस्कृतिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग निर्धारित की जानी चाहिए।ऐसी स्थिति में ऐसी संख्या की उपलब्धता और एक विकल्प के रूप में उनका आरक्षण और उनके कार्य की शक्ति महत्वपूर्ण हो जाती है।विवादित नियम 55 ए 14 में

बी.

सी.

डी.

14 55 ए. पंजीकरण चिह्न का आवंटन।- (1) आवेदन प्राप्त होने पर

पंजीकरण चिह्न के आरक्षण के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा पंजीकरण प्राधिकरण को लिखित रूप में दिया गया, पंजीकरण प्राधिकरण निम्नलिखित तरीके से पंजीकरण चिह्न को आरक्षित करेगाः-

ई.

(क) पंजीकरण प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में प्रचलित किसी भी श्रृंखला में 1 से 9 तक के पंजीकरण अंक रुपये के शुल्क के भुगतान पर आरक्षित किए जाएंगे। प्रत्येक पंजीकरण चिह्न के लिए 15,000/- (पंद्रह हजार रुपये)।

(ख) पंजीकरण प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में प्रचलित किसी भी श्रृंखला में पंजीकरण चिह्न संख्या 10 से 100 तक के आरक्षण के लिए, रु। प्रत्येक पंजीकरण चिह्न के लिए 12,000/- (बारह हजार रुपये)।(ग) पंजीकरण संख्या के आरक्षण के लिए,
101,111,123,200,202,222,234,300,303,335,400,404,444,456,500,505,555,567,600,606,678,700,707,787,786,789,800,808,888,900,909,999,1000,1001,1010,1111,1112,1212,1213,1221,1234,1313,1314,1331,1414,1415,1515,1516,1616,1616,1617,1661

एफ.

जी.

एच.

वर्तमान उदाहरण, जिसे 2001 में एम. पी. राज्य द्वारा संशोधन के माध्यम से पेश किया गया था, पंजीकरण अंकों के लिए चार अलग-अलग शुल्क-15000/- निर्धारित करता है।

3939, 3940, 3994, 4000, 4004, 4040, 4041, 4114, 4141, 4142, 4224, 4242, 4243, 4334, 4343, 4344, 4444, 4445, 4545, 4546, 4554, 4567, 4646, 4647, 4664, 4747, 4748, 4774, 4848, 4849, 4884, 4949, 4950, 4994, 5000, 5005, 5050, 5051, 5115, 5151, 5152, 5225, 5252, 5253, 5335, 5353, 5354, 5445, 5454, 5455, 5555, 5556, 5656, 5657, 5665, 5678, 5757, 5758, 5775, 5858, 5859, 5885, 5959, 5960, 5995, 6000, 6006, 6060, 6061, 6116, 6161, 6162, 6226, 6262, 6263, 6336, 6363, 6364, 6446, 6464, 6465, 6558, 6565, 6666, 6667, 6767, 6768, 6776, 6789, 6869, 6886, 6969, 6970, 6996, 7000, 7007, 7070, 7071, 7117, 7171, 7172, 7227, 7272, 7273, 7337, 7373, 7374, 7447, 7474, 7475, 7557, 7575, 7576, 7667, 7676, 7677, 7777, 7778, 7878, 7887, 7979, 7980, 7997, 8000, 8008, 8080, 8081, 8181, 8182, 8228, 8282, 8283, 8338, 8383, 8384, 8448, 8484, 8558, 8585, 8586, 8668, 8686, 8687, 8778, 8787, 8788, 8888, 8889, 8989, 8998, 9(X) 0,9009,9090,9091,9119,9191,9192,9229,9292,9292,9292

(ग) आरक्षित पंजीकरण चिह्न केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के प्रपत्र-20 में आवेदन के साथ वाहन के उत्पादन पर आवंटित किया जाएगा और जब वाहन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों और मोटर, वाहन के पंजीकरण के लिए उसके तहत बनाए गए नियमों का पालन करता हुआ पाया जाएगा।

जी.

(घ) यदि पंजीकरण चिह्न के आरक्षण की तारीख से तीन महीने के भीतर वाहन को पंजीकरण संख्या के आवंटन के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो पंजीकरण चिह्न का आरक्षण स्वचालित रूप से रद्द हो जाएगा।

(ङ) पंजीकरण चिह्न के आरक्षण के लिए भुगतान की गई शुल्क की राशि वापस नहीं की जाएगी।

(च) खंड (घ) के तहत रद्द किए गए पंजीकरण चिह्न को उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा फिर से आरक्षित किया जा सकता है।

एच.

757

एम. पी. और ओ. आर. एस. का राज्य बनामराकेश सेठी और ए. एन. आर. [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

ए.

1 पंजीकरण प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में प्रचलित किसी भी श्रृंखला में 9 तक और पंजीकरण प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में किसी भी श्रृंखला में 10 से 100 तक के अंकों के आरक्षण के लिए 12000/- तक।क्रमिक क्रम में निर्दिष्ट अंतिम संख्या से 1000 के भीतर किसी अन्य संख्या या संख्या के आरक्षण के लिए नियम 55 ए (सी), 10000/- और 2000/- में इंगित संख्याओं की बड़ी श्रृंखला के आरक्षण के लिए।

बी.

31. इस तरह के शुल्क लेने के अलावा, पंजीकरण प्राधिकरण को नियम 55 ए (2) द्वारा आदेश दिया गया है कि वह विशेष संख्या को आरक्षित करने में पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत का पालन करे; और फॉर्म-20 (केंद्रीय नियमों के) में आवेदन के साथ वाहन के उत्पादन पर आरक्षित पंजीकरण चिह्न आवंटित करे, बशर्ते वाहन अधिनियम और नियमों के प्रावधानों का पालन करता हो।नियम 55 ए (डी) के अनुसार, अंक का आरक्षण रद्द कर दिया जाएगा यदि आवंटन की तारीख से तीन महीने के भीतर वाहन को आवंटन के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है।जाहिर है, इसका उद्देश्य संख्या में तस्करी करके आरक्षण प्रक्रिया के दुरुपयोग से बचना है, सीमित समय प्रदान करके जिसके भीतर ऐसी संख्या का उपयोग किया जा सकता है।

सी.

डी.

32. विशेष संख्या के आवंटन के लिए शुल्क के मामले की तरह, कुछ अन्य सेवाओं पर भी अधिनियम के तहत विचार किया गया है। धारा 56 (1) 15 निर्देश देती है कि किसी भी परिवहन वाहन को वैध रूप से पंजीकृत नहीं माना जाएगा जब तक कि उसके पास योग्यता का प्रमाण पत्र न हो।इस तरह का फिटनेस प्रमाण पत्र अधिकृत परीक्षण केंद्रों द्वारा [धारा 56 (2) द्वारा] जारी किया जाना है।धारा 43 मोटर वाहन के मालिक को किसी भी पंजीकरण प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण को आवेदन करने में सक्षम बनाती है जिसे राज्य सरकार द्वारा वाहन को अस्थायी रूप से पंजीकृत करने के लिए निर्धारित किया जा सकता है।यह प्रावधान

ई.

15 56.कुछ शर्तों के तहत पंजीकरण संख्या का पुनर्निर्धारण।- (1)

राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, राज्य के सभी पंजीकरण प्राधिकरण को निर्देश दे सकती है कि वे सभी या किसी भी वर्ग के वाहनों के संबंध में मोटर वाहन अधिनियम, 1939 (1939 का नंबर 4) के तहत आवंटित संख्या के स्थान पर अधिनियम के तहत नए नंबर को फिर से नियुक्त करें और इसके तरीके और शर्तों को भी निर्धारित करें, और अधिनियम की धारा 41 की उप-धारा (6) का प्रावधान इस संबंध में लागू होगा।

एफ.

(2) राज्य सरकार उपनियम (1) के तहत आदेश जारी करते समय एक उचित समय प्रदान करेगी जो छह महीने से कम नहीं होगा जिसके भीतर ऐसे वाहन का मालिक नया नंबर प्राप्त करेगा।

जी.

(3) यदि मालिक निर्धारित समय के भीतर आवेदन करता है तो उपनियम (1) के तहत नए नंबर के आवंटन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।जहां निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद आवेदन प्राप्त होता है, वहां रु। 100/- देय होगा।

एच.

इसमें एक गैर-अस्थाई खंड शामिल है।अधिनियम के विभिन्न प्रावधान उच्च अधिकारियों और अपीलीय अधिकारियों के आदेशों से संबंधित हैं।इसके साथ इस तरह के निर्णयों की प्रतियां जारी करने की शक्ति निहित है।इसके अलावा, ऐसे मामलों में जहां इच्छुक व्यक्ति या पक्ष ऐसे आदेशों की डुप्लिकेट या अतिरिक्त प्रतियां प्राप्त करना चाहते हैं, सेवा की एक अलग श्रेणी प्रदान की जाती है।इसी तरह, जहां भी पंजीकरण प्रमाणपत्र आदि जैसे दस्तावेजों की प्रतिकृतियां जारी की जाती हैं, अनिवार्य रूप से एक सेवा की जाती है।1994 के एम. पी. नियमों के नियम 62 में

ऐसी विभिन्न सेवाओं (वाहनों के विभिन्न वर्गों में अस्थायी पंजीकरण या विस्तार) के संबंध में शुल्क लेने का प्रावधान किया गया है। विविध आवेदनों की प्रतियां, वाहनों के विभिन्न वर्गों के लिए फिटनेस का डुप्लिकेट प्रमाण पत्र आदि।अतः एम. पी. नियमों और अधिनियम का समग्र अध्ययन स्पष्ट रूप से यह स्थापित करता है कि शुल्क लगाने या राशि एकत्र करने के लिए व्यक्त प्राधिकरण के अलावा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को अधिकार प्राप्त हैं-वास्तव में ऐसे कर्तव्यों के निष्पादन में कुछ सेवाओं का विस्तार करने के लिए कर्तव्य बाध्य हैं।इसलिए ये दोनों निकाय, यानी केंद्र और राज्य सरकारें, शुल्क लेने या लगाने के अपने अधिकार के भीतर काम करेंगी।33. यदि इस मुद्दे पर कोई और संदेह है, तो इस न्यायालय की राय में नियम बनाने के लिए धारा 65 (1) के तहत शक्ति की व्यापकता, धारा 211 के साथ यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि राज्य सरकार को पंजीकरण संख्या के रूप में निर्दिष्ट किए जाने वाले कुछ नंबरों या विशिष्ट अंकों को आरक्षित करने के लिए शुल्क निर्धारित करने का अधिकार है।यह नहीं दिखाया गया है कि कैसे कुछ संख्याओं को अलग करना या उनका आरक्षण करना-यहाँ, संख्याओं के बड़े संभावित समूह का एक अंश जो पंजीकरण प्राधिकरण अन्यथा वाहनों को दे सकता है, अपने आप में मनमाना या अनुचित है।न ही इस न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई दलीलें पेश की गईं।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

34. इस न्यायालय ने अतीत में कहा है कि जब भी कोई राज्य नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है या प्रत्यायोजित कानून को सशक्त बनाता है, यानी जहां या जहां भी क़ानून पहले अधीनस्थ कानून को अधिकृत करने या उस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अलग कानून बनाने के लिए एक सामान्य प्रावधान रखता है, और "विशेष रूप से और

जी.

पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता के बिना ", इसके बाद एक अन्य

प्रतिनिधिमण्डल जो अभिव्यक्तियों से पहले विशिष्ट शक्तियों की गणना करता है

जैसे "विशेष रूप से और पूर्वगामी की व्यापकता के बिना"

शक्तियाँ ", विनिर्देशन केवल उदाहरणात्मक है और सामान्य शक्ति को समाहित नहीं करता है। राज्य ने अकादमी ए के निर्णय पर भरोसा किया था

एच.

पोषण (ऊपर) जो उस प्रभाव के लिए था।इस मुद्दे पर अन्य निर्णय भी हैं।16

35. इस अदालत ने अतीत में यह अभिनिर्धारित किया है कि जब कोई केंद्रीय अधिनियम राज्य को शक्ति प्रदान करता है, या उसे छोटे खनिजों के पट्टे जैसे किसी काम को करने का कार्य देता है, तो पट्टे का किराया या रॉयल्टी लेने की अंतर्निहित शक्ति को राज्य की शक्ति में पढ़ा जाना चाहिए।डी. के. त्रिवेदी एंड संस बनाम गुजरात राज्य मामले में अदालत ने कहाः17

बी.

“40. इस प्रकार खनन पट्टा के अनुदान में ऐसे अनुदान के लिए भूतल किराया, नियत किराया और रॉयल्टी के रूप में विचार करने का प्रावधान होगा।इसलिए, ऐसे पट्टों के अनुदान को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति में पट्टेदार द्वारा पट्टेदार को देय प्रतिफल को सामान्य किराया या सतह किराया, मृत किराया और रॉयल्टी के रूप में तय करने की शक्ति शामिल होगी।यदि ऐसा नहीं होता, तो यह बेतुका परिणाम होता कि जब सरकार खनन पट्टा देती है, तो यह उस व्यक्ति को मुफ्त में दिया जाता है जो खनिज निकालना चाहता है और उनसे लाभ उठाना चाहता है।खनन पट्टों के अनुदान को विनियमित करने के लिए नियम केवल उन नियमों तक सीमित नहीं हो सकते हैं जिनमें इस तरह के पट्टों के लिए आवेदन किए जाने हैं, ऐसे आवेदनों को देने या अस्वीकार करने में ध्यान में रखे जाने वाले कारक और अन्य संज्ञानात्मक मामले शामिल हैं।इस तरह के नियमों में अनिवार्य रूप से अनुदान के लिए विचार के संबंध में प्रावधान शामिल होने चाहिए।इसलिए, धारा 15 (1) के तहत, राज्य सरकारों को पट्टेदार द्वारा सरकार को भूतल किराया, मृत किराया और रॉयल्टी के भुगतान के लिए नियम बनाने की शक्ति है।”

सी.

डी.

ई.

एफ.

16 अफजल उल्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1964) 4 एस. सी. आर. 991 देखें जिसमें कहा गया था किः

“ अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि धारा 298 (2) के कई खंडों में निहित विशिष्ट प्रावधान केवल उदाहरणात्मक हैं और उन्हें धारा 298 (1) (राजा सम्राट बनाम सिबनाथ बनर्जी (ए. आई. आर. 1945 पी. सी. 156) द्वारा निर्धारित शक्तियों की व्यापकता के प्रतिबंधात्मक के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है।यदि धारा 298 (1) द्वारा विनिर्दिष्ट शक्तियाँ बहुत व्यापक हैं और वे अपने दायरे में उन उप-नियमों को लेते हैं जिनके साथ हम वर्तमान

अपील में संबंधित हैं, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि धारा 298 (2) के तहत गणना की गई शक्तियाँ धारा 298 (1) द्वारा उपयोग किए गए सामान्य शब्दों को नियंत्रित करती हैं।" इसका भी संदर्भ लें:रोहतक और हिसार जिला विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1966 (2) एससीआर 863; भारत संचार निगम लिमिटेड बनाम भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण और (2014) 3 एससीसी 222; के. रामनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य (1985) 2 एससीसी 116।

जी.

17 (1986) सप.एस. सी. सी. 20, पी.54.

एच.

36. जयंतिया हिल ट्रक ओनर्स एसोसिएशन 18 में, इस अदालत ने विशेष रूप से

मूल्यांकन द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संदर्भ में, तीसरे पक्ष, एजेंसियों के माध्यम से, जहां राज्य ने शुल्क लेने में सक्षम बनाया, कि -

"28. जहां राज्य या राज्य-नियंत्रित अभिकरण केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सेवाएं प्रदान करते हैं, हमारी राय में, वह इसके संबंध में उचित राशि वसूलने का हकदार है।हम, इस ओर से, टी. काजी बनाम यू. जोर्मनिक सीम [ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 276 में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं:(1961) 1 एससीआर 750]।उसमें विचार के लिए जो प्रश्न उठा वह यह था कि क्या प्रमुखों और प्रमुखों की नियुक्ति और उत्तराधिकार को विनियमित करने वाले किसी कानून के अभाव में, प्रतिवादी को कारण दिखाने के लिए जारी किया गया एक नोटिस कि उसे उसके पद से क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए, वैध था।"

बी.

सी.

37. जयंतिया हिल (ऊपर) में उद्धृत निर्णय-यानी, टी. काजी बनाम यू. जोरमानिक सीम 19 ने भारत के संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधानों के तहत एक स्वायत्त जिला परिषद द्वारा ग्राम प्रधान की नियुक्ति की वैधता पर विचार किया।उच्च न्यायालय ने इस तर्क को बरकरार रखा कि विधायी शक्ति (जिला परिषद को प्रदत्त) प्रदान करने का यदि प्रयोग नहीं किया जाता है, तो परिषद को नियमों के अभाव में नियुक्ति जारी करने का अधिकार नहीं है।इस अदालत ने उच्च न्यायालय के तर्क को अस्वीकार कर दिया और कहा कि:

डी.

ई.

“इस संबंध में, हमें ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय ने अपनी भाषा द्वारा उचित ठहराए जाने की तुलना में पैरा 3 (1) (जी) में कहीं अधिक पढ़ा है।पैरा 3 (1) वास्तव में एक विधायी सूची की तरह है और उन विषयों की गणना करता है जिन पर जिला परिषद कानून बनाने के लिए सक्षम है।पैरा 3 (1) (जी) के तहत इसके पास प्रमुखों या प्रमुखों की नियुक्ति या उत्तराधिकार के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है और इसमें स्वाभाविक रूप से उन्हें हटाने की शक्ति शामिल होगी।लेकिन इससे यह नहीं पता चलता है कि किसी प्रमुख की नियुक्ति या निष्कासन एक विधायी अधिनियम है या इस आशय का कोई कानून बने बिना कोई नियुक्ति या निष्कासन नहीं किया जा सकता है।ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय ने यह भी सोचा था कि चूंकि संविधान के अनुच्छेद 73 और 162 के संदर्भ में छठी अनुसूची में कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए जिला परिषद की प्रशासनिक शक्ति का विस्तार नहीं होगा।

एफ.

जी.

18 सुप्रा, एफएन।12.

एच.

19 1961 (1) एससीआर 750।

761

एम. पी. और ओ. आर. एस. का राज्य बनामराकेश सेठी और ए. एन. आर. [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

ए.

पैरा 3 (1) में सूचीबद्ध विषयों के लिए।अब पैरा 2 (4) में प्रावधान है कि एक स्वायत्त जिले का प्रशासन जिला परिषद में निहित होगा और हमारी राय में यह ऐसी सभी कार्यकारी शक्तियों को शामिल करने के लिए पर्याप्त है जो जिले के प्रशासन के उद्देश्यों के लिए प्रयोग की जानी चाहिए।

बी.

38. अन्य निर्णय, जिसका उल्लेख जयंतिया हिल (उपरोक्त) में किया गया है, अर्थात, सुरिंदर सिंह बनाम केंद्र सरकार 20 प्रस्ताव को निम्नलिखित शब्दों में बताता हैः

“जहाँ कोई क़ानून किसी प्राधिकारी को नियमों के अधीन कुछ कार्यों को करने या कुछ मामलों के संबंध में शक्ति का प्रयोग करने की शक्ति प्रदान करता है, वहाँ क़ानून द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग नियमों के अस्तित्व पर निर्भर नहीं करता है जब तक कि क़ानून स्पष्ट रूप से उनके लिए प्रावधान नहीं करता है।दूसरे शब्दों में, नियमों का निर्माण कानून द्वारा स्पष्ट रूप से और बिना शर्त प्रदत्त शक्ति के प्रयोग के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त नहीं है।'नियमों के अधीन' अभिव्यक्ति का अर्थ केवल नियमों के अनुसार, यदि कोई हो।यदि नियम बनाए जाते हैं, तो प्राधिकरण को इस

प्रकार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग इन नियमों के अनुसार किया जा सकता है।लेकिन यदि कोई नियम नहीं बनाए जाते हैं तो कोई शून्य नहीं है और प्राधिकरण क़ानून द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करने से वंचित नहीं है।"

सी.

डी.

ई.

39. इसलिए इस अदालत का मानना है कि मोटर वाहनों को "विशिष्ट अंक" यानी पंजीकरण संख्या का आवंटन (जिसमें उन्हें एक विशिष्ट शुल्क के लिए आरक्षित करने और आवंटित करने की शक्ति शामिल है) एक अलग सेवा है जिसके लिए राज्य या उनके अधिकारी (जैसे कि पंजीकरण अधिकारी, इस मामले में) एक निर्धारित शुल्क लेने के हकदार हैं।इसलिए, एम. पी. नियमों का नियम 55 ए, अधिनियम या केंद्रीय नियमों द्वारा राज्य को प्रदत्त शक्तियों से अधिक नहीं है।

एफ.

40. यह अदालत नोटिस करती है कि विवादित निर्णय इस धारणा पर आगे बढ़ा कि राज्य कानून बनाने में सक्षम नहीं था।उस अभिव्यक्ति के उपयोग को गलत धारणा के रूप में वर्णित किया जा सकता है।वर्तमान मामले में, एम. पी. राज्य ने मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के माध्यम से संबंधित नियमों को तैयार करने के लिए अपनी शक्तियां प्राप्त कीं।इसलिए, ठीक से समझे गए तिरस्कार का सवाल नहीं उठा, बल्कि यह एक मामला था कि क्या राज्य सरकार को, प्रत्यायोजित अधिकारियों में से एक के रूप में, संसदीय कानून के माध्यम से अधिकार दिया गया था

जी.

एच.

20 (1986) 4 एससीसी 667।

उस नियम को बनाएँ जो उसने बनाया था।सबसे अच्छा, जो मुद्दा उठा वह यह था कि क्या उल्लंघन करने वाला नियम (नियम 55 ए) अधिनियम या केंद्रीय नियमों के अधिकार क्षेत्र से बाहर था।इस न्यायालय की राय में, विवादित नियम राज्य को सौंपी गई शक्तियों के दायरे में था,

और सीधे धारा 41 (6) के तहत अपने कार्यों के प्रदर्शन से संबंधित था, जिसके लिए वह वैध रूप से शुल्क का दावा कर सकता था, जैसा कि नियम 55 ए के माध्यम से किया गया था।

बी.

41. इस फैसले के साथ भाग लेने से पहले, अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मनोज स्वरूप के प्रति अपना आभार दर्ज किया कि उन्होंने न्यायमित्र के रूप में कार्य किया और इस अदालत की सहायता के लिए सभी तर्कों को कुशलता से तैयार किया।42. उपरोक्त तर्क को ध्यान में रखते हुए अपील को सफल होना होगा।इसलिए विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है। अपील को तदनुसार अनुमति दी जाती है, लेकिन लागत के बारे में आदेश के बिना।

सी.

कल्पना के. त्रिपाठी

अपील की अनुमति दी गई।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.